**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 931**

**18 सितंबर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**कोविड टीके का विकास**

**931. श्री बिदयुत बरन महतोः**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**

**श्री कृपाल बालाजी तुमानेः**

**श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः**

**श्री सुधीर गुप्ताः**

**श्री जगदम्बिका पालः**

**श्री डी.के. सुरेशः**

**डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः**

**श्री सुनील बाबूराव मढेः**

**श्री चन्द्रशेखर साहूः**

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**

**श्री थामस चाझ़िकाडनः**

**एडवोकेट अदूर प्रकाशः**

**श्री रामदास तडसः**

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़ियाः**

**श्री मलूक नागरः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितनी मौतें हुई हैं/कितने लोग ठीक हुए हैं;

(ग) कोविड-19 टीके का विकास करने के लिए अनुसंधान करने वाले सरकारी संस्थानों तथा निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कितना धन आवंटित/व्यय किया गया है;

(घ) प्रत्येक टीके की क्या स्थिति है तथा जनता के लिए यह टीका कब तक उपलब्ध होने की संभावना है तथा इस टीके का मूल्य कौन-सा प्राधिकरण तय करेगा;

(ङ) क्या सरकार टीके के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों या अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार महामारी को उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के एंटीडोट के अनुसंधान और विकास हेतु समर्पित अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**<u>उत्तर</u>**

**<u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)</u>**

(क) और (ख): सक्रिय मामलों, रोग मुक्त/डिस्चार्ज/स्वस्थ हुए मामलों तथा मौतों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): भारत म शैक्षणिक संस्थान और उदयोग दवारा बहुआयामी प्रौदयोगिकियां/प्लेटफार्मा पर आधारित लगभग 30 वैक्सीन कडीडेट्स विकासाधीन ह। जैव प्रौदयोगिकी विभाग कडीडेट वैक्सीन के विकास एवं संबंध अनुसंधान संस्थानों के लिए उदयोग के 8 प्रस्तावों तथा शैक्षणिक संस्थान के 2 प्रस्तावों को सहायता दे रहा है। जिन मुख्य उदयोग आधारित प्रयासों को डीबीटी दवारा सहायता दी जा रही है, उनम सहायता दी जा रही कुछ मुख्य परियोजनाएं शामिल ह तथा उनम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दवारा किए जा रहे आरबीसीजी वैक्सीन के ट्रायल का चरण-III, एमआरएनए वैक्सीन (जीनोवा बायोफामास्यूटिकल्स लिमिटेड) का विकास, निष्क्रिय रेबीज़ वायरस वेक्टर वैक्सीन (भारत बायोटेक) तथा वैक्सीक्यूलो वैक्स प्लेटफाम आधारित कडिडेट (अरविंदो फामा) शामिल ह। इन परियोजनाओं के लिए जैव प्रौदयोगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभाग दवारा करीब 78.4306 करोड़ रुपए की निधियां आवंटित की गई ह।

(घ): ये वैक्सीन प्री-क्लीनिक तथा क्लीनिकल विकास के विभिन्न चरणों म ह। लगभग 3 कडीडेट्स फेज I/II/III ट्रायल की अग्रिम अवस्था म ह तथा 4 अग्रिम प्री-क्लिनिकल विकास की अवस्था म ह। वैक्सीन की उपलब्धता फेज III क्लिनिकल ट्रायल के सफलतापूवक पूरा होने पर निभर करती है।

(ङ): भारत सरकार ने कोविड-19 टूल्स की एक्सेस (एसीटी) एक्सीलरेटर के वैक्सीन पिलर का हिस्सा होने के बारे म अपनी मंशा के बारे म सूचित किया है, जो देश म उनके आगे उपयोग के लिए अग्रिम अवस्थाओं म वैश्विक वैक्सीन कडीडेट्स की पहुंच को उपलब्ध कराने म लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा, जैव प्रौदयोगिकी विभाग भारत-सीईपीआई मिशन के माध्यम से अग्रिम वैक्सीन अनुसंधान के लिए क्लीनिकल इम्यून एसेज़ के विकास हेतु भारतीय अनुसंधानकताओं को सहायता के लिए महामारी तैयारी नवाचार सम्मिलन (सीईपीआई) के साथ मुख्य भागीदारियों म शामिल है। इसी के साथ, स्वदेशी वैक्सीन विकास क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत-अमेरिकी वैक्सीन कारवाई कायक्रम (वीएचपी) के तहत कडिडेट वैक्सीन सलाहकार समिति (सीवीएसी) दवारा निरीक्षण भी किया जा रहा है।

(च): जैव प्रौदयोगिकी विभाग दवारा पांच कोविड-19 बायोरिपोजिट्रियां स्थापित की गई ह, जिन्होंने 40,000 से अधिक नमूने एकत्रित किए ह, जिन्ह **डायग्नोस्टिक्स, थैरेपीयूटिक्स तथा वैक्सीन्स के विकास** के लिए अनुसंधानकताओं और उदयोग को उपलब्ध कराया गया है। देशभर म एकत्र किए गए 2000 से अधिक सास-कोव2 नमूनों की जिनोम सीक्वेंसिंग पूरी हो चुकी है, **जो डायग्नोस्टिक, औषधियों तथा वैक्सीनों के विकास के लिए महत्वपूण है।**

कोविड-19 के लिए जन स्वास्थ्य प्रतिक्रियात्मक कारवाई के संबंध म सार **अनुलग्नक-II** के रूप म संलग्न है।

**अनुलग्नक I**

**कोविड-19 के कुल मामलों, सक्रिय मामलों, ठीक हुए और मृत व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (16-09-2020 के अनुसार)**

| क्र.□□ | □□ज्य/□□ □□ज्य क्षेत्र □□ □□□ | □□□ □□□□□ | □क्रि□ □□□□□ | स्□स्□/<br>डि□स्□□□/<br>प्र□ि□□ □□□□□ | □□□ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3574 | 204 | 3318 | 52 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 583925 | 92353 | 486531 | 5041 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 6466 | 1795 | 4658 | 13 |
| 4 | असम | 146575 | 29180 | 116903 | 492 |
| 5 | बिहार | 160871 | 13055 | 146980 | 836 |
| 6 | चंडीगढ़ | 8592 | 2991 | 5502 | 99 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 70777 | 35909 | 34279 | 589 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव | 2783 | 229 | 2552 | 2 |
| 9 | दिल्ली | 225796 | 29787 | 191203 | 4806 |
| 10 | गोवा | 25511 | 5102 | 20094 | 315 |
| 11 | गुजरात | 116183 | 16357 | 96582 | 3244 |
| 12 | हरियाणा | 98622 | 20430 | 77166 | 1026 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 10335 | 3801 | 6444 | 90 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 56654 | 18678 | 37062 | 914 |
| 15 | झारखंड | 64439 | 14118 | 49750 | 571 |
| 16 | कनाटक | 475265 | 98555 | 369229 | 7481 |
| 17 | केरल | 114033 | 31226 | 82341 | 466 |
| 18 | लद्दाख | 3499 | 938 | 2517 | 44 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 93053 | 21620 | 69613 | 1820 |
| 20 | महाराष्ट्र | 1097856 | 292174 | 775273 | 30409 |
| 21 | मणिपुर | 8210 | 1745 | 6418 | 47 |
| 22 | मेघालय | 4036 | 1818 | 2190 | 28 |
| 23 | मिजोरम | 1480 | 558 | 922 | 0 |
| 24 | नागालड | 5229 | 1269 | 3945 | 15 |
| 25 | ओडिशा | 158650 | 32267 | 125738 | 645 |
| 26 | पुदुचेरी | 20601 | 4674 | 15522 | 405 |
| 27 | पंजाब | 84482 | 21154 | 60814 | 2514 |
| 28 | राजस्थान | 105898 | 16761 | 87873 | 1264 |
| 29 | सिक्किम | 2173 | 464 | 1690 | 19 |
| 30 | तमिलनाडु | 514208 | 46806 | 458900 | 8502 |
| 31 | तेलंगाना | 162844 | 30401 | 131447 | 996 |
| 32 | त्रिपुरा | 20150 | 7498 | 12435 | 217 |
| 33 | उत्तराखंड | 34407 | 10739 | 23230 | 438 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 324036 | 67335 | 252097 | 4604 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 209146 | 23942 | 181142 | 4062 |
| **36** | □ि□□ □□□□ (□□) | **5020359** | **995933** | **3942360** | **82066** |

[illegible]-II

**[illegible]-19 [illegible] स्वास्थ्य प्रतिक्रियात्मक [illegible] (15 [illegible], 2020)**

भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को रोकने, नियंत्रित करने तथा न्यूनतम करने के लिए अनेक अन्य कदम भी उठाए ह। भारत ने सरकार एवं समाज के समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह (जीओएम), मंत्रिमंडल सचिव, सचिवों की समिति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय म वरिष्ठ अधिकारियों ने देश म कोविड-19 के बारे म जन स्वास्थ्य प्रतिक्रियात्मक कारवाई की मॉनीटरिंग जारी रखी है।

जन स्वास्थ्य कारवाईयां, उभरते हुए परिदृश्य के आधार पर पूव-अधिकृत, पूव-सक्रिय श्रेणीबद्ध तरीके से की गई थीं। अंतराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर रोक लगाने संबंधी अनेक यात्रा-एडवाइजरी जारी की गई, 23 माच, 2020 को ऐसे समय तक व्यावसायिक उड़ान निलंबित की गई। तब तक, इन हवाई अड्डो पर 15,24,266 यात्रियों वाली कुल 14,154 उड़ानों की जांच की गई है। 12 महा पत्तनों और 65 लघु पत्तनों तथा भू-सीमा क्षेत्रों पर भी जांच की गई। वैश्विक महामारी के प्रारंभिक भाग म भारत ने तत्कालीन कोविड प्रभावित देशों (चीन, इटली, ईरान, जापान, मलेशिया) म बड़ी संख्या म फंसे यात्रियों को और पुन: लॉकडाउन को खोले गए चरण म वहां से निकाला। कुल 13,18,891 यात्रियों को (14 सितंबर, 2020 तक) वापस लाया गया है और अनुवर्ती की गई।

एकीकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) सामुदायिक निगरानी के माध्यम से सम्पक का पता लगाने का काय (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) संचालित कर रहा है। वैश्विक महामारी के पहले भाग म यह काय यात्रा से संबंधित मामलों के लिए किया गया और बाद म कंटेनमट नीति के एक भाग के रूप म यह काय समाज से प्राप्त होने वाले मामलों के लिए किया गया। 14 सितंबर, 2020 तक, लगभग कुल 40 लाख लोगों को निगारानी म रखा गया है। 726 प्रयोगशालाएं कोविड-19 जांच कर रही ह। भारत प्रतिदिन लगभग 10 लाख नमूनों की जांच कर रहा है। अब तक (14 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार) कुल 5.8 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।

15 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, बिना ऑक्सीजन समथन वाले 13,20,881 समर्थित आइसोलेशन बिस्तरों के साथ कुल 15,360 कोविड उपचार सुविधा कद्र सृजित किए गए ह। इसके अलावा, कुल 2,32,516 ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बिस्तरों तथा 63,194 आईसीयू बिस्तरों (32,409 वटिलेटर बिस्तरों सहित) का सृजन किया गया है। कोविड-19 के क्लीनिकल प्रबंधन के संबंध म दिशा-निदश जारी किए गए ह तथा उन्ह नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

संभार-तंत्र की आपूर्ति के संबंध म राज्यों को सहायता दी जा रही है। अब तक (14 सितम्बर, 2020 की स्थिति) के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्र [illegible] 1.41 [illegible], 3.44 [illegible]-95 [illegible], [illegible] 10.84 [illegible] 30,663 [illegible] 1,02,400 [illegible]

[illegible] चिकित्सा [illegible] विभिन्न [illegible] स्वयंसेवकों [illegible] विभिन्न [illegible] स्वास्थ्य [illegible] (https://igot.gov.in/igot) [illegible] प्रशिक्षण [illegible]

[illegible]-19 [illegible] स्थिति [illegible] प्रचारित [illegible]/[illegible] (1075) [illegible]

*****